दूरभाष : 01472–295322

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़
भीलवाड़ा रोड, चित्तौड़गढ़
राजस्थान 312021

क्रमांकः एस.एस.सी / 114 / लेखा / 2024–25

05 मार्च 24

प्रिय अभिभावक,

शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए विद्यालय शुल्क हेतु अभिभावकों के लिए दिशानिर्देश
(पूर्व में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए)

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 जो कि शुरू होने जा रहा है, सभी अभिभावकों द्वारा नियमानुसार विद्यालय फीस का अग्रिम भुगतान करना अनिवार्य है । अभिभावकों द्वारा देय फीस का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्रमांक	मद	राशि (₹)
(क)	शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)	**1,06,294.00**
(ख) *	भोजन या खान पान पर व्यय (160 रूपये प्रति दिन की दर से 295 दिन का) (Dietary Charges)	**47,200.00**
(ग) *	धुलाई व्यय (Washing Charges)	**6,000.00**
(घ) *	पॉकेट मनी या जेब खर्च	**1,500.00**
(ङ) *	व्यय / Charges (Horse Riding & Swimming Pool)	**1,000.00**
(च) *	विविध खर्च / आकस्मिक खर्च (सैन्य दल के लिए खर्च, यात्रा खर्च, रेल / बस किराया, चिकित्सकीय व्यय, अतिरिक्त परिधान खर्च, खेल सामग्री, टेलीफोन खर्च, सिनेमा, पाठ्य पुस्तक / स्टेशनरी खर्च, हेयर कटिंग, सिलाई, बीमा शुल्क, क्षतिपूर्ति, यूपीएससी / सीबीएसई परीक्षा / पंजीकरण शुल्क, पिकनिक, इत्यादि और अन्य आकस्मिक खर्च ।	**15,006.00**
	सभी शुल्क अभिभावक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अग्रिम जमा करना अनिवार्य है ।	**1,77,000.00**

* उपरोक्त शुल्क विद्यार्थियों से व्यक्तिगत तौर पर खर्चों से संबंधित है तथा इसका वास्तविक खर्चा ही अभिभावकों द्वारा वहन किया जायेगा ।

2. विद्यालय फीस का भुगतान केवल **''ऑनलाइन भुगतान''** द्वारा ही स्वीकार्य है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(क) **विद्यालय फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम ''स्टेट बैंक कलेक्ट'' से ही स्वीकार्य होगा ।** अभिभावक / छात्रगण फीस का भुगतान विद्यालय की वेबसाइट www.sschittorgarh.edu.in पर उपलब्ध ''स्टेट बैक कलेक्ट'' के माध्यम से कर सकते है । इसके लिए सीधा लिंक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है ।

(ख) फीस भुगतान के विकल्प के तौर पर अभिभावक / छात्रगण भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर उपलब्ध ''एस बी आई कलेक्ट'' विकल्प को चुनकर अभिभावक / छात्रगण को राजस्थान स्टेट को सेलेक्ट (चयन) करना होगा तथा इंस्टीट्यूट (संस्थान) की जगह एजूकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप करना होगा, उसके बाद अगली स्क्रिन या पेज पर इंस्टीट्यूट का नाम ''प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़'' सेलेक्ट करना होगा ।

सभी अभिभावकों से निवेदन है कि फीस भुगतान की प्रक्रिया के दौरान पूछे गये विवरण जैसे – विद्यालय क्रमांक, विद्यालय का नाम, पिताजी का नाम इत्यादि सही से भरा जाये ।

3. **सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वे अपनी आयनुसार छात्रवृति सम्बंधित दस्तावेज दिनांक 31 मई 2024 तक विद्यालय को आवश्यक रूप से जमा कराये । यदि** अभिभावक आय शपथ पत्र दिनांक 31 मई 2024 तक जमा करने में असमर्थ होते है तो उन विद्यार्थियों को ''Full Payee Cadet'' (पुर्णशुल्क देने वाला) माना जायेगा । **किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि 31 मई 2024 को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा (प्रारूप संलग्न) । कृपया पात्रतानुसार निम्न में से जो लागू वह दस्तावेज भेजें ।**

SAINIK SCHOOL MAIN OFFICE CHITTORGARH

छात्रवृति	आवश्यक दस्तावेज
राज्य सरकार से छात्रवृति हेतु	**अभिभावक का आय शपथ पत्र**
रक्षा मंत्रालय से छात्रवृति हेतु	**रक्षा विभाग में कार्यरत सेवा के दस्तावेज अथवा सेवा निवृत पंजिका**

नोट :– (क) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सैनिक स्कूल्स सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सभी छात्रों (छात्रवृति धारकों को मिलाकर) की फीस का अग्रिम (एडवांस) भुगतान आय समूहों/छात्रवृति वर्गों को नजरअंदाज करते हुए करना अनिवार्य है ।

(ख) सभी अभिभावकों को सत्र की शुरूआत में अग्रिम फीस (Fee in advance) का भुगतान करना अनिवार्य होगा ।

(ग) यदि कोई विद्यार्थी अपने अभिभावक की सहमति तथा इच्छानुसार विद्यालय छोड़ना चाहता है तो उसे निर्धारित शुल्क तथा पिछली सम्पूर्ण छात्रवृति राशि का भुगतान करना होगा । **30 सितम्बर** के बाद विद्यालय छोड़ने पर नियमानुसार सम्पूर्ण वर्ष की फीस तथा पिछली सम्पूर्ण छात्रवृति राशि का भुगतान करना होगा ।

(घ) वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत तक सब्सिडी (रियायत)/छात्रवृति या पॉकेटमनी संबंधित शेष धन राशि को अगले सत्र 2024–25 की विद्यालय शुल्क में समायोजित किया जायेगा । इस संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2023–24 का लेखा जोखा (Personal A/c details) का ब्यौरा सभी अभिभावकों को **मई/जून** में अग्रेसित कर दिया जायेगा ।

(ङ) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सैनिक स्कूल सोसाइटी को विद्यालय फीस (शिक्षण शुल्क व आहार व्यय को मिलाकर) को समय–समय पर संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है । विद्यालय फीस में किसी भी तरह की वृद्वि को अभिभावकों द्वारा वहन किया जायेगा।

(च) अधिक सूचना/जानकारी के लिये कृपया हाउस मास्टर/विद्यालय प्रशासन से सम्पर्क करें ।

Note : **अभिभावको से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित फीस ₹ 1,77,000.00 में से ₹ 1,00,000.00 दिनांक 31 मार्च 2024 तक जमा करायें । शेष राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 के समायोजन/लेखा–जोखा (Personal A/c details) के उपरान्त व दिनांक 30 जून 2024 से पहले जमा करायें ।**

-Sd-

SAINIK SCHOOL MAIN OFFICE CHITTORGARH

(अनिल देव सिंह जसरोटिया)
कर्नल
प्राचार्य

राज्य सरकार से प्राप्त छात्रवृति के बाबत्
अभिभावक का शपथ पत्र
(पचास रूपये के नॉन जुडिशियल स्टांप पेपर पर)

मैं ____ सत्यनिष्ठा से यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मैं छात्र/छात्रा स्कूल नम्बर _________________ नाम _____________________________________ जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में कक्षा ___________ में पढ़ रहा/पढ़ रही है, उसका पिता/संरक्षक हूँ अथवा उसके पिता/माता जीवित नहीं है । जो लागू नहीं हो उसे निरस्त कर दें ।

आय का विवरण वर्ष 2024–25

	स्वयं	पत्नी	योग
1. वेतन/पेंशन सभी भत्ते सहित वार्षिक आय			
2. चल/अचल संपत्ति आदि से आय			
3. भूमि/कृषि आदि जैसे कि :– सिंचित भूमि .... एकड़ असिंचित भूमि .... एकड़			
4. अन्य कोई आय का स्त्रोत जैसे :–	**कुल वार्षिक आय**		

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी जहाँ तक मेरा ज्ञान एवं विश्वास है सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

मैं यह भी आश्वासन देता हूँ कि अगर मेरी आय उपरोक्त घोषित आय से अधिक पाई गई तो मैं छात्र/छात्रा को प्राप्त पूर्ण छात्रवृति की राशि वापस लौटाने का या अन्य कोइ दण्ड देने का जिम्मेदार रहूँगा ।

स्थान : _____________
दिनांक _____________

हस्ताक्षर _________________________
नाम ____________________________
स्थायी पता _______________________
____
मोबाईल नम्बर ____________________
आधार नम्बर _____________________

कार्यपालक मजिस्ट्रेट/उपखण्ड दण्डनायक के प्रतिहस्ताक्षर

दिनांक _____________

मोहर (हस्ताक्षर मोहर सहित)

सम्बन्धित जिला के जिलाधीश का प्रमाणपत्र

दिनांक _____________

कार्यालय की मोहर (जिलाधीश)

टिप्पणी :– 1. आपकी ओर से सम्बन्धित निम्न प्रमाण पत्र में से कोई एक आवश्यक रूप से संलग्न करें ।
(अ) आपके कार्यालय प्रधान अथवा नियोजक से आपकी मासिक वेतन आय का प्रमाण पत्र ।
(ब) तहसीलदार से आपकी कृषि भूमि का विवरण एकड़ में ।
(स) गत वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र ।

2. यदि अभिभावक राजस्थान सरकार का कर्मचारी है एवं वेतन के अलावा अन्य किसी स्त्रोत से आय नहीं है तो उपरोक्त शपथ पत्र को जिलाधीश से सत्य प्रतिलिपि कराने की आवश्यकता है ।

कृपया सभी जानकारी साफ एवं स्वच्छ लेख (Handwriting) में भरे अथवा Type करवाकर स्कूल प्रशासन को 31 मई 2024 तक आवश्यक रूप से जमा करायें ।